प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक - 711/2009

अपीलार्थीगण राम मिलन एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय उद्घोषणा हेतु दिनांक 7.5.2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक - 711/2009</u>

<u>अपीलार्थीगण</u> राम मिलन एवं अन्य

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ राज्य

श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से ।

श्री विवेक शर्मा, पैनल लॉयर, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(07.05.2012)

अपीलार्थीगण ने यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला बिलासपुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक ४१/२००८ में पारित निर्णय और आदेश दिनांक १७.९.२००९ के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 304-ख के तहत दोषी ठहराया गया है और उनमें से प्रत्येक को धारा 498-क के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०० रुपये का जुर्माना, तथा धारा 304-ख के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और व्यतिक्रम शर्तों से दंडित किया गया है।

२. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि यहाँ अपीलार्थी क्रमांक १ मृतका रेखा का पति है और उनका विवाह ६.७.२००७ को संपन्न हुआ था। अपीलार्थी क्रमांक २ से ४ क्रमशः उसके ससुर, सास और

ननद हैं। दिनांक २५.५.२००८ को, मृतका ने अपने ससुराल में अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। उसे सुबह लगभग ८.३५ बजे उसके जेठ (दोषमुक्त अभियुक्त) द्वारा ९७-९९% जलने की चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी दिन सुबह लगभग १० बजे जी.आर. महलांग (अ.सा.-11) द्वारा मृत्यु कालिक कथन प्रदर्श पी-17 दर्ज किया गया और दोपहर लगभग १.४५ बजे उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सिम्स के वार्ड बॉय द्वारा थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर को सूचना दी गई और उसके आधार पर मर्ग प्रदर्श पी-11 दर्ज किया गया तथा सूचना पुलिस थाना जरहागांव को भेजी गई , जहाँ मर्ग प्रदर्श पी-10 दर्ज किया गया। मर्ग जांच के पश्चात, दिनांक 20.5.2008 को अपीलार्थीगण और दोषमुक्त किए गए सनत तिवारी एवं राजेंद्र तिवारी सहित अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी प्रदर्श पी-6 दर्ज की गई। विवेचना के पश्चात, पुलिस द्वारा दिनांक 19.9.2008 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498-क और 304-ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए चालान पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन ने 18 साक्षियों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के कथन भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

4. पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद और सनत कुमार को उन पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थीगण को भी धारा 306 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गयी ।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि मृत्यु कालिक कथन देते समय मृतिका बयान देने की स्वस्थ स्थिति में थी, क्योंकि इस आशय का कोई प्रमाण पत्र डॉक्टर द्वारा जारी नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि मृत्यु कालिक कथन पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह किसके कहने पर दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी और शव परीक्षण प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा दर्ज मृत्यु कालिक कथन का कोई संदर्भ नहीं है, जो कानून की दृष्टि में अनिवार्य है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण द्वारा मांगी गई 50,000 रुपये की कथित राशि मकान निर्माण के लिए थी, जिसे धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के तहत 'दहेज' नहीं कहा जा सकता।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि मृत्यु कालिक कथन में मृतिका ने सभी अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रताड़ना के स्पष्ट आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि घटना के बाद उन्होंने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसमें वह 97- 99% झुलस गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जी.आर. महिलांग (अ.सा.-11) - कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्होंने मृतिका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया था, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका बोलने और चीजों को समझने की स्थिति में थी और इसलिए उन्होंने डॉक्टर से इस आशय का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया कि वह बयान देने के लिए फिट थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अपने मुख्य परीक्षण में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीएम की ओर से एक मेमो भेजा गया था और उनके निर्देशानुसार उन्होंने उक्त मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अभिलेख पर कोई मेमो नहीं भी है, तो भी तथ्य बताते हैं कि मृत्यु कालिक कथन एसडीएम के निर्देशों पर दर्ज किया गया था और इसकी अनुपस्थिति पूरे विचारण को अकृत नहीं करेगी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि कानून के तहत प्राथमिकी या शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु कालिक कथन का संदर्भ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि न केवल 50,000 रुपये की मांग की गई थी बल्कि अन्य मांगें भी थीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और इसके अलावा मकान निर्माण के लिए राशि की मांग करना भी 'दहेज' की श्रेणी में आएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मीना तिवारी (अ.सा.-3), कुसुम तिवारी (अ.सा.-17) और वंदना तिवारी (अ.सा.-18) - मृतिका की बहनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी अभियुक्त मृतिका को प्रताड़ित करते थे और दिनांक 13.5.2008 को अर्थात घटना की तारीख से मात्र 12 दिन पहले मृतिका के पति को 50,000 रुपये और अन्य सामान जैसे रंगीन टीवी और सोना दिया गया था और घटना से ठीक एक दिन पहले अर्थात दिनांक 24.5.2008 को उसने अपनी बहन कुसुम तिवारी (अ.सा.-17) को फोन पर बताया था कि अभियुक्त उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे भोजन भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण की धारा 498-क और 304-ख भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि न्यायोचित है और इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. विद्या यादव (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि बरेला गांव से लौटने के बाद उसे घटना के बारे में पता चला लेकिन उसने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। कोमल दास (अ.सा.-2) - ग्राम कोटवार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि शोर सुनकर वह घटना स्थल पर गया जहाँ उसने मृतिका को जलते हुए देखा और फिर उसने मामले की सूचना थाना जरहागांव को दी। उन्होंने यह भी बताया है कि मृतिका को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। मीना तिवारी (अ.सा.-3) - मृतिका की बड़ी बहन ने बताया है कि वे चार बहनें और एक भाई थे तथा उनकी छोटी बहन (मृतिका) का विवाह यहाँ के अपीलार्थी क्रमांक 1 के साथ दिनांक 6.7.2007 को संपन्न हुआ था। उन्होंने बताया है कि शुरुआत से ही अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मृतिका के साथ क्रूरता और प्रताड़ना की जा रही थी। दिनांक 13.5.2007 (यह 13.5.2008 होना चाहिए) को अपीलार्थी क्रमांक 1 को दहेज के रूप में 50,000 रुपये, सोना और रंगीन टीवी दिया गया था और दिनांक 21.5.2008 को अर्थात घटना की तारीख

से चार दिन पहले उन्हें मृतिका से टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि उसके जेठ सनत तिवारी द्वारा उसे गाली-गलौज दी जा रही है और घटना से एक दिन पहले अर्थात दिनांक 24.5.2008 को मृतिका ने अपनी बहन कुसुम तिवारी (अ.सा.-17) को फोन करके सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे भोजन भी नहीं दे रहे हैं। इस साक्षी के अनुसार, घटना की सूचना उनके सेल फोन पर दी गई थी और जब तक वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल पहुँचीं, मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी। प्रति परीक्षण में भी इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के समान ही बातें कही हैं। दुकलिन बाई (अ.सा.-4) और दिलहरण केवट (अ.सा.-5) - अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के पड़ोसियों ने किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। मदन सिंह (अ.सा.-6), मोहन पाटले (अ.सा.-7), मणिराज तिवारी (अ.सा.-8), जे.के.राठौर (अ.सा.-9), अश्वनी कुमार (अ.सा.-10) वे साक्षी हैं जिन्होंने विवेचना में सहायता की। जी.आर. महलांग (अ.सा.-11) नायब तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने मृतिका का मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श पी-17) दर्ज किया था, उन्होंने बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी को पुलिस चौकी सिम्स से मृतिका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने के लिए एक मेमो प्राप्त हुआ था, जो उक्त अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती थी और एसडीओ के निर्देश पर वे सुबह 10 बजे अस्पताल पहुँचे और मृतिका की स्थिति देखने के बाद, जो बोलने और चीजों को समझने में सक्षम थी, उसका मृत्यु कालिक कथन प्रदर्श पी-17 दर्ज किया। उन्होंने बताया है कि चूँकि मृतिका के दोनों हाथ जले हुए थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु कालिक कथन पर उसके हस्ताक्षर नहीं लिए। इस साक्षी के अनुसार, मृतिका ने उन्हें सूचित किया कि उसकी ननद, ससुर और सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और हर दिन उसके साथ झगड़ा करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। उसने उन्हें यह भी बताया कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा उसकी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस साक्षी के अनुसार, मृतिका ने उन्हें बताया कि घटना की तारीख को उसका पति (यहाँ अपीलार्थी क्रमांक 1) घर में नहीं था और उसके साथ भी उसके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे क्योंकि वह भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने स्वीकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया है कि उन्होंने मृतिका का स्वस्थ्यता सम्बन्धी(उपर्युक्तता) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था क्योंकि वे संतुष्ट थे कि वह बोलने और चीजों को समझने की स्थिति में थी और इस प्रकार बयान देने के लिए फिट थी। इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि जब वे अस्पताल पहुँचे तो मृतिका बेहोश थी। एम.आर. गायकवाड़ (अ.सा.-12) वह साक्षी है जिसने पंचनामा तैयार किया और गवाहों के कथन दर्ज किए। डॉ. आर.के. उपाध्याय (अ.सा.-13) वह साक्षी है जिसने मृतिका के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रदर्श पी-18 के माध्यम से पुलिस को सूचना भेजी थी। डॉ. जुबेद खान (अ.सा.-14) वह साक्षी है जिसने मृतिका के शव का शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 दी, जिसमें राय दी गई कि मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने और सदमे के कारण हृदय-श्वसन विफलता थी। रमेश पांडे (अ.सा.-15) वह साक्षी है जिसने विवेचना का कुछ हिस्सा किया। टी. टोप्पो (अ.सा.-16) वह साक्षी है जिसने विवेचना का कुछ भाग किया। श्रीमती कुसुम तिवारी (अ.सा.-17) - मृतिका की बहन ने बताया है कि मृतिका का विवाह यहाँ के अभियुक्त/ अपीलार्थी क्रमांक 1 के साथ दिनांक 6.7.2007 को संपन्न हुआ था और जब भी वह उसके घर आती थी, वह उसे बताती थी कि अभियुक्त/ अपीलार्थीगण उसे दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे भोजन भी नहीं दे रहे हैं। उसने बताया है कि दिनांक 24.5.2008 को मृतिका ने उसे फोन पर सूचित किया था कि उसका जेठ दहेज की मांग को लेकर उसके साथ झगड़ा करता था। उसने आगे बताया है कि दिनांक 25.5.2008 को मृतिका ने उसे टेलीफोन किया था लेकिन बिना कोई बात किए उसने फोन काट दिया। इसके बाद, उसने स्वयं मृतिका को फोन लगाया और इस बार फोन मृतिका के पति ने उठाया, जिसने उसके पूछने पर बताया कि मृतिका जल गई है। जब इस साक्षी ने उससे आगे पूछा कि वह कितनी जल गई है, तो उसने उसे बताया कि उसे केवल हाथों में चोट आई है और फिर उसने भी फोन काट दिया। इसके बाद, जब मृतिका के पति ने उसे फिर से बताया कि मृतिका सिम्स में भर्ती है, तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल गई और उस समय तक मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी। प्रति परीक्षण में भी यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए बयानों पर अडिग रही। वंदना तिवारी (अ.सा.-18), जो मृतिका की एक अन्य बहन है, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए बताया है कि विवाह के बाद मृतिका उसे सूचित करती थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि अभियुक्त/ अपीलार्थीगण दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे भोजन भी नहीं दे रहे हैं। उसके अनुसार, दिनांक 13.5.2008 को मृतिका अपने मायके आई थी और उस समय मांग किए जाने पर, उसके पिता ने उसे मकान निर्माण के लिए 50,000 रुपये दिए थे। उन्होंने रंगीन टीवी और सोने-चांदी के आभूषण भी दिए थे। उसने आगे बताया है कि उस समय मृतिका का पति भी वहाँ आया था। इस साक्षी के अनुसार, इसके बाद भी मांग की जाती रही और दिनांक 21.5.2008 को मृतिका ने उसे फोन पर सूचित किया कि उसका जेठ उसके साथ झगड़ा और गाली-गलौज कर रहा है तथा अभियुक्त/ अपीलार्थीगण भी दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने बताया है कि दिनांक 24.5.2008 को अर्थात घटना की तारीख से एक दिन पहले मृतिका ने अपनी बहन कुसुम को सूचित किया था कि दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार अभिलेख यह दर्शाता है कि अपने विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर ही मृतिका ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर और खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे वह 97-99% जल गई थी। अभिलेख आगे यह भी दर्शाता है कि मृतिका को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे भोजन से वंचित रखा जा रहा था। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि दिनांक 13.5.2008 को अपीलार्थी क्रमांक 1 को 50,000 रुपये नकद, सोना, रंगीन टीवी दिया गया था, लेकिन फिर भी अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की मांग पूरी नहीं हुई और वे इसके लिए मृतिका के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। मृतिका का मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श पी-17), जो उसी दिन दर्ज किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि जब मृतिका अपने ससुराल में जल रही थी, तो वहाँ उपस्थित अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उसकी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। मृतिका के मृत्यु कालिक कथन में उसके प्रति अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के दृष्टिकोण का सजीव वर्णन है। मृत्यु कालिक कथन में उसने अपने विवाह की सही दिनांक 6.7.2007 भी बताई है और हालांकि डॉक्टर का स्वास्थता प्रमाण पत्र अभिलेख पर नहीं है, फिर भी यह माना जा सकता है कि वह

कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में थी जब वह सिम्स के बर्न यूनिट में भर्ती थी। जी.आर.महिलांग (अ.सा.-11), जिन्होंने मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया था, ने भी यह कहा है कि चूंकि मृतिका बोलने और चीजों को समझने में सक्षम थी, इसलिए वे संतुष्ट थे कि वह उनके समक्ष बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में थी। इस साक्षी के अनुसार, चूंकि मृतिका के दोनों हाथ जल गए थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु कालिक कथन पर उसके हस्ताक्षर नहीं लिए। इस साक्षी ने आगे यह भी बताया कि वे स्वयं अपनी मर्जी से मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने ऐसा एसडीओ के निर्देश पर किया था, जिन्हें सिम्स पुलिस चौकी से मृतिका के शरीर पर जलने की चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में एक मेमो प्राप्त हुआ था। मृत्यु कालिक कथन की वैधता के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कमलव्वा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**, **(2009) 13 SCC 614** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "24. **विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य** में इस न्यायालय ने मृत्यु कालिक कथन की वैधता को नियंत्रित करने वाले पिछले सुसंगत निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की और कंडिका 45 में निम्नानुसार अवलोकन किया: (एस.सी.सी. पृ. 529-30)
>
> "45. न्यायालय ने पूर्व के विधि दृष्टांतों का संदर्भ देते हुए, मृत्यु कालिक कथन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेपित किया: (पाणिबेन केस, एस.सी.सी. पृ. 480-81, कंडिका 18)
>
> '(i) न तो कानून का ऐसा कोई नियम है और न ही विवेक का, कि मृत्यु कालिक कथन पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती।
>
> (ii) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि कथन सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह बिना किसी पुष्टि के इसके आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है।

(iii) इस न्यायालय को मृत्यु कालिक कथन की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कथन सिखाने-पढ़ाने, उकसावे या कल्पना का परिणाम न हो। मृतक के पास हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर था और वह कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था।

(iv) जहाँ मृत्यु कालिक कथन संदिग्ध हो, वहाँ बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(v) जहाँ मृतक अचेत था और कभी कोई मृत्यु कालिक कथन नहीं दे सकता था, वहां उससे संबंधित साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(vi) एक मृत्युपूर्व कथन जो किसी दोषों से ग्रस्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु कालिक कथन में घटना के संबंध में विवरण शामिल नहीं हैं, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) इसी प्रकार, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त कथन है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कथन का संक्षिप्त होना ही उसकी सत्यता की गारंटी देता है।

(ix) सामान्यतः न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मृतक मृत्यु कालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में था, चिकित्सीय राय पर ध्यान देता है। लेकिन जहाँ चश्मदीद गवाह ने यह कहा हो कि मृतक मृत्यु कालिक कथन देने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, वहाँ चिकित्सीय राय को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

(x) जहाँ अभियोजन का पक्ष, मृत्यु कालिक कथन में दिए गए पक्ष से भिन्न हो, वहाँ उक्त कथन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।'"

10.अ.सा.-11 (नायब तहसीलदार) ने बताया है कि पुलिस ने उनसे अस्पताल में उपचाराधीन मृतका रेखा का मृत्यु कालिक कथन दर्ज करने के लिए कहा था। वे अस्पताल पहुँचे और मृत्यु कालिक कथन प्रदर्श पी-17 दर्ज किया। उक्त कथन प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज किया गया था। मृतका द्वारा दिए गए उत्तरों की प्रकृति से यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रश्नों को समझ नहीं पाई थी या उसने उचित उत्तर नहीं दिए थे। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि मृतका की मानसिक क्षमता सुदृढ़ थी और वह अ.सा.-11 द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थी।

11.डॉक्टर के प्रमाणन और मृतका की मानसिक स्वस्थता के संबंध में पृष्ठांकन की अनुपलब्धता के बारे में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई तकनीकी आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इसे केवल विवेक का नियम माना गया है, न कि यह अंतिम परीक्षण कि उक्त मृत्यु कालिक कथन सत्य या स्वैच्छिक था या नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अ.सा.-11, जिन्होंने मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया था, ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त कथन देते समय मृतका सचेत थी और ऐसा बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में थी। अ.सा.-11 एक लोक सेवक होने के नाते, यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नहीं पाता कि वे किसी व्यक्ति को झूठा क्यों फंसाएंगे। तदनुसार, उक्त मृत्यु कालिक कथन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इसे सच्चाई के साथ दर्ज किया गया था और उक्त कथन उस तरीके का सजीव वृत्तांत देता है जिसमें घटना घटित हुई थी। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, मृत्यु कालिक कथन पूर्णतः विश्वसनीय और भरोसेमंद है और यह उस घटना के तरीके का सटीक विवरण देता है जिस प्रकार वह घटित हुई थी।

13.उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तों/ अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दंडित करने हेतु दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायोचित हैं और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के उचित विवेचन पर आधारित है, की पुष्टि की जाती है और अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।अपीलार्थी पहले से ही जेल में हैं, इसलिए उनके आत्म समर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

हस्ताक्षरित /

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ADV.VARSHA THACKER.